

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग

जी. 3 राजमहल रजिडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

e-mail- caodlb@gmail.com

Fax No.- 2222403

Tel No.- 0141-2223074

दिनांक : ०१/०५/१८

क्रमांक : प.6(ड)लेखा / डीएलबी / सड़क निर्माण / 2017-18 / ३२९१४-

संशोधित स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी घोषणा की कियान्वति के क्रम में राज्य के समर्त नगर निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण / सड़क सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जाने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक प.6(ड)लेखा / डीएलबी / 2017 / सड़क निर्माण / 20677 दिनांक 08.11.2017 द्वारा कार्य की क्रमांक 28399-428 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। इसके उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 28399-428 दिनांक 20.02.2018 एवं 28229 दिनांक 11.04.2018 द्वारा क्रमशः 14 (12+2) नगरीय निकायों में सड़क उवत आदेशों की निरन्तरता में रूडसिको द्वारा की गई अनुशासा के अनुसार नीचे वर्णित नगर निकायों में उवत आदेशों की लागत में वृद्धि होने के कारण उनके सम्मुख वर्णित अनुसार संशोधित राशि के कार्य करवाये जाने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राशि रु० करोड़ में)

क्र. सं.	नगर पालिका का नाम	कार्य की पूर्व में लागत	अतिरिक्त कार्य की लागत	संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
1	बगड़	0.41	2.61	3.02
2	डेनाना	2.33	1.67	4.00
3	बीदासर	2.52	1.48	4.00
4	महुवा	1.86	2.14	4.00
	कुल	7.12	7.90	15.02

अन्य शर्तें व विवरण पूर्व में जारी विभागीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 20677 दिनांक 08.11.2017 के अनुसार यथावत् रहेंगे। उवत अतिरिक्त कार्य करवाने की स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ड)लेखा / डीएलबी / एसबीएम / 2017-18 / ३२९५-३७४ दिनांक : ०१/०५/१८

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।

02. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव (राज्यमंत्री) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, राजस्थान सरकार, जयपुर।

03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।

04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर।

05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजो जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोटी स्कीम, जयपुर।
07. सम्बन्धित अध्यक्ष नगरपालिका।
08. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
09. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
10. मुख्य अभियन्ता/परियोजना निदेशक, रूडसिको, लालकोटी स्कीम, जयपुर।
11. सम्बन्धित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राज।
12. सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता नगर निकाय।
13. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


 (भुपेन्द्र सिंह)

मुख्य अभियन्ता

नियमाला	नियमाला	नियमाला
०१. नियमाला	०१. नियमाला	०१. नियमाला
०२. नियमाला	०२. नियमाला	०२. नियमाला
०३. नियमाला	०३. नियमाला	०३. नियमाला
०४. नियमाला	०४. नियमाला	०४. नियमाला
०५. नियमाला	०५. नियमाला	०५. नियमाला
०६. नियमाला	०६. नियमाला	०६. नियमाला
०७. नियमाला	०७. नियमाला	०७. नियमाला
०८. नियमाला	०८. नियमाला	०८. नियमाला
०९. नियमाला	०९. नियमाला	०९. नियमाला
१०. नियमाला	१०. नियमाला	१०. नियमाला

(भुपेन्द्र सिंह)

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता नगर निकाय विभाग राजस्थान के लिए एक अद्वितीय और अतिरिक्त सेवा का उदाहरण है। इसका उद्देश्य नगर निकाय की विभिन्न सेवाओं को एक संगति में लाना है। इसका उद्देश्य नगर निकाय की विभिन्न सेवाओं को एक संगति में लाना है।

मुख्य अभियन्ता नगर निकाय विभाग राजस्थान के लिए एक अद्वितीय और अतिरिक्त सेवा का उदाहरण है। इसका उद्देश्य नगर निकाय की विभिन्न सेवाओं को एक संगति में लाना है।